इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 331]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 जुलाई 2011—आषाढ़ 21, शक 1933

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2011

क्र. एफ 1–11/11/आठ.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश परिवहन विभाग अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) सेवा से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

<u>नियम</u>

- 1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ''मध्यप्रदेश परिवहन विभाग अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2011'' है।
 - (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

- 2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) सेवा या पद के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, आयुक्त, परिवहन विभाग;
 - (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;
 - (ग) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
 - (घ) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल ;
 - (ड.) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5/ पच्चीस/4/84 दिनांक 26 दिसम्बर,1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
 - (च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
 - (छ) ''सेवा'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश परिवहन विभाग अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) सेवा;
 - (ज) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य ;
 - (झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
 - (ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति, या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ।
- 3. विस्तार तथा लागू होना मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम अनुसूची— एक में यथाउल्लिखित सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।
- 4. **सेवा का गठन** निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर सेवा का गठन होगा, अर्थात्
 - (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप में धारण कर रहे हों;
 - (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व, सेवा में भर्ती किये गये हों; और
 - (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों ।
- 5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची—एक के अनुसार होंगे :

परंतु सरकार, समय—समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, या तो स्थायी आधार पर या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

- 6. भर्ती का तरीका :— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात :—
 - (क) सीधी भर्ती द्वारा, चयन या प्रतियोगिता प्रीक्षा द्वारा या दोनों द्वारा किसी सरकारी एजेंन्सी द्वारा या रोजगार कार्यालय से नाम मंगाकर;
 - (ख) अनुसूची चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नित द्वारा; और
 - (ग) उन व्यक्तियों के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हैं जैसा कि सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए ।
 - (2) उप नियम (1) के खंड (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची—एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची—दो में दर्शाये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
 - (3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालाविध के दौरान भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, आयोग के परामर्श से, अवधारित की जाएगी।
 - (4) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में, सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक हो, तो सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी, जो वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करें।
 - सेवा में नियुक्ति इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

7.

- 8. **सीधी भर्ती की पात्रता की शर्ते** चयन / परीक्षा के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—
 - (1) आयु (क) उसने परीक्षा / चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची— तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किंतु उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;
 - (ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ;
 - (ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी:-
 - (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी सरकारी सेवक हो, 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

- (दो) उच्चतर आयु सीमा में उपरोक्त रियायत आकरिमकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्य कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी बशर्ते कि उसने बिना किसी व्यवधान के 40 वर्ष की आयु तक निरंतर सेवा की हो:
- (तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से पांच वर्ष से अधिक न हो;
- स्पष्टीकरण :— पद "छंटनी किया गया सरकारी सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं संघटक इकाई की अख्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरंतर रहा था और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व ख्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था।
- (घ) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
- स्पष्टीकरण :— पद "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरंतर कालाविध तक नियोजित रहा था तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई थी अथवा जो अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था:—
- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्शेसन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो ।
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिसे :--
 - (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,
 - (ख) नामांकन संबंधी शर्ते पूर्ण कर लेने पर, सेवोन्मुक्त किया गया हो।
- (3) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), (जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं) उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों।
- (4) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों के विरूद्ध छह मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो।

- (5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने के परिणामस्वरूप घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो।
- (জ) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक।
- (च) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी:
- (छ) विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ज) उन अभ्यर्थियों के लिए जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (झ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पति के पुरस्कृत सवर्ण पति / पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (স) विक्रम पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ट) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/ मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ठ) नगर सेना (होमगार्ड्स) के स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा 3 वर्ष की सीमा के अध्ययीन रहते हुए शिथिलनीय होगी किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (ड) निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर, जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

टिप्पणी: ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 के उप नियम (1) के खंड (ग) के उपखंड (एक), (दो) तथा (तीन) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा / चयन के लिए पात्र पाया गया हो, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा / चयन के पहले अथवा उसके बाद सेवा से त्यागपत्र देते हैं तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तथापि यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी की जाती है तो वे पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी।

विभागीय अभ्यर्थी की दशा में, उस पर यह बंधनकारी होगा कि वह नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ले।

(2) शैक्षणिक अर्हताएं तथा शारीरिक मापदण्डः— अभ्यर्थी के पास, अनुसूची — तीन में दर्शाए गए पदों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं तथा शारीरिक मापदण्ड होना चाहिएः

परंतु नियुक्ति प्राधिकारी आपवादिक मामलों में, सरकार के परामर्श से, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इन नियमों में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो किंतु जिसने अन्य संस्थाओं / विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा / चयन के लिए पात्र ठहराता हो।

- (3) फीस— अभ्यर्थी को विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा।
- (4) आरक्षण :--

(एक) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण.—

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(दो) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण.-

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाएंगे। यह आरक्षण होरीजोन्टल तथा कम्पार्टमेंटवाइज रहेगा।

(तीन) भूतपूर्व सैनिकों को, इस निमित्त प्रचलित तथा प्रवृत्त नियमों के अनुसार, 10 प्रतिशत आरक्षण होरीजेन्टली तथा कम्पार्टमेन्ट वाइज दिया जाएगा।

(चार) निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण.—

निःशक्त व्यक्तियों को इस निमित्त प्रवृत्त नियमों के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा ।

9. निरर्हता :--

- (1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा परीक्षा / चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जा सकेगा ।
- (2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए विहित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (3) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ, हो किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परंतु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरहिंत नहीं होगा।

(4) कोई व्यक्ति जिसे महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार या किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा : परंतु अपील लंबित रहने के दौरान न्यायालय के अंतिम विनिश्चय तक उसकी नियुक्ति स्थिगित रखी जाएगी ।

- 10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा— चयन / परीक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग अथवा नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे आयोग / नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, आयोग द्वारा साक्षात्कार / परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
- 11. प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :--
 - (क) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती— (1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अन्तरालों से ली जायेगी, जैसा कि सरकार, नियुक्ति प्राधिकारी के परामर्श से, समय समय पर अवधारित करे।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जायेगी, जो कि सरकार, आयोग के परामर्श से समय-समय पर जारी करे।
- (3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा समय— समय पर जारी आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए पद आरक्षित रखे जायेंगे।
- (4) इस प्रकार आरक्षित पदों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की जो, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम, नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो।
- (5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित अभ्यर्थियों को, जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक, ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाय, यथारिथति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर उपनियम (3) के अध्यधीन रहते हुए नियुक्त किया जा सकेगा।
- (6) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगें।
- (7) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (8) सामान्य प्रशासन विभाग के निदेशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (9) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालाविध का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगें वहां नियुक्ति प्राधिकारी सरकार से परामर्श

के पश्चात्, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये अनुभव की ऐसी शर्तों को शिथिल कर सकेगा।

(10) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो सकें तो शेष रिक्तियां सरकार की पूर्व अनुमित के बिना किसी अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएंगी और रिक्तियां यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिये अगले चयन के लिये रिक्त रखी जाएंगी और अग्रनीत की जाएंगी।

(ख) चयन द्वारा सीधी भर्ती -

- (1) सेवा में पदों पर नियुक्ति के लिये चयन ऐसे अंतरालों से किया जाएगा, जैसा कि सरकार, आयोग के परामर्श से समय समय पर अवधारित करे।
- (2) सेवा में पदों पर अभ्यर्थियों का चयन आयोग द्वारा साक्षात्कार लेने के पश्चात किया जाएगा।

12. आयोग/विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची —

- (1) विभागीय पदोन्नित सिमिति उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची जो ऐसे स्तर से अई हो जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुये, चयन सिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है, योग्यता के क्रम में तैयार करेगा और सरकार को अग्रेषित करेगा। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायेगी।
- (2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये, उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों।
- (3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सिम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो जाता जब तक सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (4) चयन सूची उसके जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालाविध तक विधिमान्य रहेगी।

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :--

(1) पदोन्नित के लिए पात्र अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु एक विभागीय पदोन्नित समिति गठित की जायेगी जिसमें अनुसूची— चार में उल्लिखित सदस्य होगें :

परन्तु यदि पदोन्नित द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में विभागीय पदोन्नित समिति/छानबीन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर, नामनिर्देशित किये गये अन्य सदस्यों में से कोई सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उसी प्रास्थिति का अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक

सदस्य पदोन्नति / छानबीन समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नति / छानबीन समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जायेगी।

- (2) अनुसूची चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए उसके कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी की पात्रता, चयन प्रक्रिया, पदोन्नति में आरक्षण एवं पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में यथाविनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगी।
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नित आदेश पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2002 के उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के एवं नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।
- 14. पदोन्नित के लिये पात्रता संबंधी शर्ते:— सिमित उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिसने उस वर्ष की पहली जनवरी को, उस पद पर, जिससे पदोन्नित की जानी है या जिसने सरकार द्वारा उनके समतुल्य घोषित किए गए किसी अन्य पद या पदों पर, उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) पूर्ण कर ली हो, जैसा कि अनुसूची चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है और जो पदोन्नित के लिए विचारण क्षेत्र हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों:

परंतु किसी कनिष्ठ व्यक्ति के नाम पर पदोन्नित के लिए केवल उसके द्वारा निर्धारित सेवा की अवधि पूर्ण कर लेने के आधार पर ही अपने से वरिष्ठ व्यक्ति से पहले विचार नहीं किया जाएगा ।

- 15. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना :— (1) विभागीय पदोन्नित समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों, और जो समिति द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार सेवा में पदोन्नित के लिए उपयुक्त समझे गए हों। यह सूची, चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नित, के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी। उक्त कालाविध के दौरान उद्भूत होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों की पूर्ति के लिए एक आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी जिसमें दो लोक सेवकों के नाम अथवा उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत व्यक्तियों के नाम, जो भी अधिक हो, सम्मिलित होंगे।
- (2) चयन सूची तैयार करने के लिए मानदण्ड मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अनुसार होंगे।
- (3) प्रत्येक चयन सूची तैयार करते समय, चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची—चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के मानदण्ड के क्रम में रखे जायेगें। जब कभी योग्यता—सह वरिष्ठता के मानदण्ड के आधार पर पदोन्नित की जाना हो, चयन सूची मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार तैयार की जायेगी।

- 16. **आयोग से परामर्श**ः— विभागीय पदोन्नित सिमिति की जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या सदस्य द्वारा की गई हो, सिफारिश के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह संविधान के अनुस्केद 320 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श की अपेक्षा के अनुपालन में की गई है तथा आयोग से पृथक् से परामर्श आवश्यक नहीं होगा।
- 17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्तिः** (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग (काडर) के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम में की जायेगी, जिस क्रम में ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में आए हों।
 - (2) साधारणतया उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सिम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सिम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट न आ गई हो, जो सरकार की राय में ऐसी हो जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गया हो।
- 18. निर्वचन :— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
- 19. परिवीक्षा प्रारंभिक तौर पर सेवा में प्रत्येक सीधी भर्ती (नियुक्ति) दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी। यदि उसका कार्य असंतोषजनक पाया जाए तो परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी जाएगी और अभ्यर्थी को अस्थायी कर्मचारी समझा जाएगा । परिवीक्षा अवधि के अवसान के पश्चात् ही उसे स्थायी किया जाएगा और तभी वह नियमित वेतनमान का हकदार होगा।
- 20. शिथिलीकरण :— इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल, की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परंतु मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो ।

21. निरसन और व्यावृत्ति. –

इन नियमों के तत्स्थानी तथा उनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतदद्वारा निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरिसत नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

22. व्यावृत्तिः — इन नियमों में की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गये नियमों तथा समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिये, उपबंध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण; शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूवी —एक (नियम 4 देखिए)

		ン	(1) 4 4 (QX)	
अनुकर्माक	सेवा में सिम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
₹,	2.	3.	4.	5.
, '	परिवहन निरीक्षक	70	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	र. 9300—34800+3600 ग्रेड पे
2.	परिवहन उप निरीक्षक	102	"	र. 5200—20200+2800 ग्रेड पे
·;	मोटरयान परिवहन निरीक्षक	15	"	र. 9300—34800+3600 ਸੇਫ਼ पे
4.	मोटरयान परिवहन उप निरीक्षक	35		ਲ _. 5200—20200+2800 ਸ਼ੇਫ ਖੇ
.5	सहायक परिवहन उप निरीक्षक	34		र. 5200—20200+2400 ਸੇड पे
9.	प्रधान आरक्षक	120		र. 5200—20200+रु.2100ग्रेड पे
7	परिवहन आरक्षक	342	2	र. 5200—20200+1900 गेड पे
æ	वाहन चालक	38		र. 5200—20200+1900 ग्रंड पे
ō	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी	80	वित्त एवं लेखा सेवा संचालनालय	र. 9300—34800+3200 ਸੁਫ਼ ਖੇ
10.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	90	वित्त एवं लेखा सेवा संचालनालय	र. 9300—34800+3200 ਸੇਫ पे
7.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	05	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, संचालनालय	र. 9300—34800+3600 ਸੇਫ पे

अनुसूची –दो (नियम 6 देखिए)

विभाग	सेवा में सम्मिलित पद का	पदों की	मरे जाने वा	मरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत	गिशत
का नाम	नाम	संख्या	4		
			साधा भवा	पदान्नात द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थायी
			द्वारा		स्थानांतरण/या प्रतिनिय्क्ति द्वारा
	2.	9	4.	5.	9
परिवहन विभाग	परिवहन निरीक्षक	70	-	85	15 प्रतिशत पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा
	परिवहन उप निरीक्षक	102	55	1. कूल पदों का 10 प्रतिशत	
			प्रतिशत	(गैर-तकनीकी)	
				2. लिपिकवर्गीय कर्मचारियों से निमन मन्त्रियों स	15 प्रतिशत पुलिस विभाग से प्रतिनियक्ति द्वारा
				तामित अतिथागिता पराक्षा के माध्यम से 20 प्रतिशत	9
				(गैर-तकनीकी)	
	मोटरयान परिवहन निरीक्षक	15	100		****
			प्रतिशत		
	मोट्रयान परिवहन उप	35	100		ı
	निरीक्षक		प्रतिशत		
	सहायक परिवहन उप निरीक्षक	35	1	100 प्रतिशत	cana .
	प्रधान आरक्षक	120	1	100 प्रतिशत	dens
	आरक्षक	342	100		
			प्रतिशत		
	वाहन चालक	38	100 प्रतिशत		
	सहायक आत्तारेक लेखा परीक्षा अधिकारी	80	I		प्रतिनियुक्ति द्वारा
	कानन्द्र वस्त्वाह्मकारा	80	1	na marana na manana na man	प्रतिनिय्क्ति द्वारा
	सहायक साख्यको अधिकारी	05	-		प्रतिनिय्वित द्वारा

अनुसूची –तीन (नियम 8 देखिए)

- 1			(।गयन ४ पाखर)	(2) by
विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताए तथा शारीरिक मापदण्ड
·	2.	33	4	5.
परिवहन विभाग				(एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष।
				(दो) मोटर साइकिल/मोटर कार/मारी माल यान/मारी यात्री यान चलाने का ड्रायविंग लाईसेस होना आवश्यक है।
			4	(तीन) केन्द्र या राज्य सरकार की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय उपाधिपत्र होना अनिवार्य है।
	417987 64 1771899	21	92 92 93 93	(वार) उसका शारीरिक तथा मानिसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। उसकी ऊंचाई 1.68 मीटर तथा सीना 81 से.मी. (बिना फुलाए) और 86 से.मी. (फुलाकर), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अस्प्रशिंगों के स्निए उस्ताई 1.60 मीटर तथा सीना 76.00 से.मी
				(बिना फुलाए) और 81 से.मी. (फुलाकर) होना चाहिए। अभ्यर्थी की दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि अर्थात् ६/9 तथा एक आंख से न्यूनतम 6/12 होनी चाहिए। उसमें विभिन्न रंगों को पहचानने की
				क्षमता होनी चाहिए। (एक) आटोमोबाईल/मेकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक।
				(दो) मोटर साइकिल/मोटर कार/भारी माल यान/भारी यात्री यान चलाने का ड्रायविंग लाईसेस होना आवश्यक है।
	मोटरयान परिंवहन निरीक्षक	21 वर्ष	35 वर्षे व	तीन) केन्द्र या राज्य सरकार की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय उपाधिपत्र होना अनिवार्य है।
				(चार) उसका शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। उसकी ऊंचाई 1.68 मीटर तथा सीना 81 से.मी. (बिना फुलाए) और 86 से.मी. (फुलाकर), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए

			कंचाई 1.60 मीटर तथा सीना 76.00 से.मी. (बिना फुलाए) और 81 से.मी. (फुलाकर) होना चाहिए। अम्पर्थी की दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि अर्थात् 6/9 तथा एक आंख से न्यूनतम 6/12 होनी चाहिए। उसमें विभिन्न रंगों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए।
			(एक) आटोमोबाईल / मेकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक ।
			(दो) मोटर साइकिल /मोटर कार/भारी माल यान /भारी यात्री यान चलाने का ड्रायविंग लाईसेस होना आवश्यक है।
			(तीन) केन्द्र या राज्य सरकार की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय उपाधिपत्र होना अनिवार्य है ।
मोटरयान परिवहन उप निरीक्षक	21 वर्ष	35 वर्ष	(चार) उसका शारीरिक तथा मानिसक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए।
		,	उसकी ऊंचाई 1.68 मीटर तथा सीना 81 से.मी. (बिना फुलाए) और 86 से.मी. (फुलाकर), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए ऊंचाई 1.60 मीटर तथा सीना 76.00 से.मी. (बिना फुलाए) और 81 से.मी. (फुलाकर) होना चाहिए। अभ्यर्थी की दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि अर्थात् 6/9 तथा एक आंख से न्यूनतम 6/12 होनी चाहिए। उसमें विभिन्न रंगों को पहचानने की
परिवहन आरक्षक	21 वर्ष		(एक) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्ड्री स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा या समकक्ष 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण । (दो) मोटर साइकिल /मोटर कार/मारी माल यान /मारी यात्री यान चलाने का द्रायविंग लाईसेस होना आवश्यक है ।
			(तीन) उसका शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। उसकी ऊंचाई 1.68 मीटर तथा सीना 81 से.मी. (बिना फुलाए) और

86 से.मी. (फुलाकर), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 1.60 मीटर तथा सीना 76.00 से.मी. (बिना फुलाए) और 81 से.मी. (फुलाकर) होना चाहिए । अभ्यर्थी की दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि अर्थात् 6/9 तथा एक आंख से न्यूनतम 6/12 होनी चाहिए । उसमें विभिन्न रंगों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए।	(एक) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्ड्री स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा या समकक्ष 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण ।	(दो) मोटर साइकिल /मोटर कार/भारी माल यान /भारी यात्री यान चलाने का ब्रायविंग लाईसेस होना आवश्यक है ।	(तीन) उसका शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। उसकी ऊंचाई1.68 मीटर तथा सीना 81 से.मी. (बिना फुलाए) और 86 से.मी. (फुलाकर), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 1.60 मीटर तथा सीना 76.00 से.मी. (बिना फुलाए) और 81 से.मी. (फुलाकर) होना चाहिए। अभ्यर्थी की दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि अर्थात् 6/9 तथा एक आंख से न्यूनतम 6/12 होनी चाहिए। उसमें विभिन्न रंगों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए
			35 वर्ष
			21 व व
			वाहन चालक

अनुसूची —चार (नियम 14 एवं नियम 15देखिए)

			<u></u>	
ों के नाम		नामनिर्दिष्ट अध्यक्ष सदस्य सदस्य	— अध्यक्ष — सदस्य मदस्य / सिवेव — सदस्य / सिवेव	गमनिर्दिष्ट अध्यक्ष सदस्य सदस्य
सदस्य		M		इता :
विमागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	5.	आयोग या उनव व परिवहन विभागाध्यक्ष	ा,परिवहन विभाग वैभागाध्यक्ष विभाग व्ह्त (प्रवर्तन) –	आयोग या उनके व परिवहन विभागाध्यक्ष
विमागीय पदो		अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट् सदस्य प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन – सदस्य परिवहन आयुक्त/विभागाध्यक्ष – सदस्य	प्रमुख सिवेव/सिवेव,परिवेहन विभाग परिवेहन आयुक्त/विभागाध्यक्ष उप सिवेव, परिवेहन विभाग अपर परिवेहन आयुक्त (प्रवर्तन) संयुक्त परिवेहन आयुक्त (प्रशासन)	अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन – सदस्य परिवहन आयुक्त/विभागाध्यक्ष – सदस्य
		- 0 m	1	~ N W
पदोन्नति के लिए न्यूनतम अनुभव/अर्हता जैसा कि कालम 2 में दर्शित है	4,	5 वर्ष	ठ वर्ष	ठ वर्ष
पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	3.	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	परिवहन निरीक्षक	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
म स		ज स		हिं सि
पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	5.	परिवहन निरीक्षक	परिवहन उप निरीक्षक	मोटरयान परिवहन निरीक्षक
अनुकमां क	~	.	7	ri ri

- अध्यक्ष - सदस्य - सदस्य -सदस्य/ सचिव -सदस्य	— अध्यक्ष— सदस्य—सदस्य / सिवेव— सदस्य	- अध्यक्ष - सदस्य -सदस्य / सचिव -सदस्य	- अध्यक्ष - सदस्य -सदस्य/ सचिव -सदस्य
 प्रमुख सिवेव/सिवेव,परिवहन विभाग परिवहन आयुक्त/विभागाध्यक्ष उप सिवेव, परिवहन विभाग अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन) 	 परिवहन आयुक्त / विभागाध्यक्ष उप सिवव, परिवहन विभाग अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन) 	 परिवहन आयुक्त / विभागाध्यक्ष उप सचिव परिवहन विभाग अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन) 	 परिवहन आयुक्त / विभागाध्यक्ष डप सचिव परिवहन विभाग अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन)
ट व क (प	ठ व क	उ वर्ष	ठ वर्ष
मोटरयान परिवहन निरीक्षक	परिवहन उप निरीक्षक	सहायक परिवहन उप निरीक्षक	परिवहन प्रधान आरक्षक
मोटरयान परिवहन उप निरीक्षक	सहायक परिवहन उप निरीक्षक	परिवहन प्रधान आरक्षक	परिवहन आरक्षक
4	Ö	<u>ن</u>	

No. F 1-11 /11/VIII: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules relating to the "Madhya Pradesh Transport Department subordinate (Class III executive) Service, namely:-

RULES

1. Short title and commencement :-

- (i) These rules may be called the "Madhya Pradesh Transport Department subordinate (Class III executive) Service recruitment Rules, 2011."
- (ii) They shall come into force from their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions:-

In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "appointing authority" in respect of the service means the Commissioner, Transport Department;
- (b) "Commission" means the Public Service Commission;
- (c) "Government" means The Government of Madhya Pradesh;
- (d) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;
- (e) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide notification No. F-8-5-XXV-4-84 dated 26th December, 1984 as amended from time to time;
- (f) "Schedule" means the schedule appended to these rules;
- (g) "Service" means the Madhya Pradesh Transport Department subordinate (Class III executive) service;
- (h) "State" means the State of Madhya Pradesh;
- (i) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;
- (j) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as Scheduled Tribe with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;
- 3. Scope and application,- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service as mentioned in schedule I,

- **4. Constitution of the Service,-** The Service shall consist of the following persons, namely-
- (i) Persons, who at the time of commencement of these rules are holding substantively or in the officiating capacity the posts specified in Schedule I;
 - (ii) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and.
 - (iii) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.
- **Classification, scale of pay etc,-** The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent basis or temporary basis.

- **6. Method of recruitment.-** (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:—
 - (a) By direct recruitment, by selection or competitive examination or by both through any Government agency or by calling the names from employment exchange.
 - (b) By promotion of the members of the Service specified in column (2) of Schedule IV.
 - (c) by transfer or/ deputation of such persons who hold. posts in substantive capacity in such service, as may be specified by the State Government in this behalf.
 - (2) The number of persons recruited under clause (b) and (c) of sub-rule (1) shall not, at any time exceed the percentage as shown in Schedule II of the number of posts as specified in Schedule I.
 - (3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the appointing authority.
 - (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the appointing authority the exigencies of the service so require, the appointing authority may, with prior concurrence of the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service, other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order, issue in this behalf.
- 7. Appointment to the Service,- All the appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

- 8. Conditions of eligibility for direct recruitment.- In order to be eligible for selection/ examination a candidate must satisfy the following conditions, namely:—
 - (1) Age.- (a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule, on the first day of January, next following the date of commencement of the examination/selection:
 - (b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of five years, if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes.
 - (c) The upper age limit shall be relaxable in respect of the candidates, who are or have been employees of Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:-
 - (i) A candidate who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 40 years of age.
 - (ii) The above relaxation in the upper age limit shall also be admissible to a candidate who is contingency paid employee or a work charged employee or working under the project implementation committee provided that he has been in the service continuously without any break therein up to the age of 40 years.
 - (iii) A candidate who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age, the period of all temporary service previously rendered by him to a maximum limit of seven years, even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than five years.

Explanation.- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(d) A candidate, who is an ex-serviceman, shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation. The term 'ex-servicemen' denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in government service.

- (1) Ex-Servicemen released under mustering out concession;
- (2) Ex- Servicemen for the second time and discharged on-
 - (a) Completion of short term engagement;
 - (b) Fulfilling the conditions of enrolment;

- (3) Officers (Military and civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers);
- (4) Officers discharged after working of more than six months continuously against leave vacancies;
- (5) Ex-Servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
- (6) Ex-Servicemen invalidated out of service;
- (7) Ex-Servicemen who are medically boarded out on account of gunshots wounds etc:
- (e) Ex-servicemen of Madras civil unit;
- (f) The general upper age limit shall be relaxable up to a maximum of ten years to a woman candidate in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Service (Special Provisions for the Appointment of women) Rules, 1997;
- (g) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of the widow, destitute and divorced woman candidate; this relaxation shall be in addition to the other relaxations in upper age limit.
- (h) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of two years for those candidates, who are holding green card under the Family Welfare Programme of the Government.
- (i) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter-castemarriage incentive programme of the Tribal, Scheduled Caste and Backward Class Welfare Department;
- (j) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of Vikram Awards holder candidates;
- (k) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 40 years of age in respect of candidates, who are employees of the Madhya Pradesh State Corporations/ Boards;
- (I) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guard and non-commissioned officers of Home Guard for the period of service rendered so by them subject to the limit of 3 years but in no case their age should exceed 40 years.
- (m) The upper age limit shall be relaxable to the destitute candidates as per the instructions issued by the Slate Government from time lo time.

Note.— Candidates, who are found eligible for examination/ selection under the age-concessions mentioned in sub-clause (i),(ii) and (iii) of clause (c) of sub-rule (1) of rule 8, above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after examination/selection. They will however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case their age limit shall be relaxed.

In case of a departmental candidate, it would be binding on him to obtain the requisite permission from his appointing authority.

(2) Educational qualification and Physical norms.- The candidate must have possessed the educational qualifications and physical efficiency prescribed for the respective posts as shown in Schedule III:

Provided that in exceptional cases on the recommendation of the appointing authority, a candidate may be treated as qualified, who though not possessing any of the qualification prescribed but has passed the examination conducted by other institutions by such standards for which the appointing authority considers the candidate eligible to appear in the examination/selection.

(3) Fees.- The candidate must pay the fees prescribed by the Commission.

(4) Reservation.-

(i) Reservation for SC/ST and OBC:-

There shall be reserved posts for the candidates belonging to the Scheduled Casts, Scheduled Tribes and other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhde Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and orders issued by the State Government from time to time.

(ii) Reservation for Women Candidates :-

In accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Service (Special Provisions for the appointment of Women) Rules, 1997, 30% Posts shall be reserved at the stage of direct recruitment to the Women candidates. Such reservation shall remain horizontal and compartmentwise,

(iii) Reservation for Ex - Servicemen:-

A 10% reservation shall be made available to the Ex-Serviceman horizontally and compartment wise as per the rules applicable and in force in this behalf,

(iv) Reservation for the handicapped Persons: -

Reservation to the handicapped Persons shall be provided as per the rules prevailing in this behalf.

9. Disqualification.-

- (1) Any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the commission to disqualify him for appearing in the examination/selection.
- (2) A candidate who had married before attaining the age of marriage prescribed in this behalf shall not be considered for appointment.
- (3) A candidate who has more then two living children, one of whom is born on or after 26 January, 2001 shall not be considered for appointment:

Provided that candidate who had one living child and the second one was born on 26.01.2001 or there after (including birth of twins or more) shall not be disqualified for the appointment.

(4) A person who has been convicted for any ill treatment or a criminal offence against women, shall not be eligible for any appointment:

Provided that pending the appeal his appointment shall be kept in abeyance till the final decision of the Court.

10. Commission's decision about the eligibility of candidate shall be final.—
The decision of the Commission or the appointing authority, as the case may be, as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection/ examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission/appointing authority shall be allowed to appear in the interview/examination.

11. (a) Direct recruitment by competitive examination.-

- (1) The competitive examination for recruitment to the Service shall be held at such intervals, as the Government may in consultation with the appointing authority, determine from time to time.
- (2) The examination shall be conducted by the appointing authority in accordance with such orders as the Government may, from time to time, issue in consultation with the Commission.
- (3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and as per orders issued by the State Government from time to time.
- (4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
- (5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes considered by the appointing authority to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of the efficiency of service, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, Subject to the provisions of sub-rule (3).
- (6) There shall be reserved post for the women candidates, in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Service (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997.
- (7) There shall be reserved posts for the disabled candidates in accordance with the direction of the Government in General Administration Department.
- (8) There shall be reserved posts for Ex-serviceman in accordance with the directions of the Government in General Administration Department.
- (9) In such cases, where experience of some period has been prescribed as essential conditions for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the appointing authority that sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes, having requisite experience may not be available, the appointing authority may relax such conditions of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes after consultation with the Government.

(10) If the posts reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes remains unfilled due to non availability of the candidates belonging to these classes, such vacancies shall not be filled by the candidates of other classes, without prior permission of the Government and shall be kept vacant and carried forward for the selection of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes candidates.

(b) Direct recruitment by selection.-

- (1) The selection for appointment on the post to the service shall be held at such intervals, as the Government may, in consultation with the Commission, determine from time to time.
- (2) The selection of the candidates shall be made after personal appearance of the candidates before the commission.

12. List of candidates recommended by the Commission/ Departmental promotion committee.-

- (1) The Departmental promotion committee shall prepare a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the appointing authority may determine and of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who though not qualified by that standard, are declared by the committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.
- (2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in order in which their names appear in the list.
- (3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied after such inquiry, as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.
- (4) The select list shall be valid for a period of one year from the date of issue.

13. Appointment by promotion. —

(1) There shall be constituted a departmental promotion committee consisting of members as mentioned in Schedule IV, for making a selection for promotion of eligible candidates:

Provided that if the nominating members other than the member presiding the departmental promotion committee/ screening committee in respect of the posts to be filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, then one member belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the departmental promotion committee/screening committee and the numbers of the members of departmental promotion committee/screening committee shall be extended to that limit.

(2) The promotion of members of the Service specified in column (2) of Schedule IV to the posts as specified in column (3) thereof, the eligibility of candidates, selection process, reservation in promotion and appointment by promotion shall be in accordance with the provisions as specified in the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.

(3) Certification by the appointing authority.- Appointing authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatioyon Aur anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of section 6 of the said Act.

14. Conditions of eligibility for promotion.-

The committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year had completed such a number of years of service whether officiating or substantive in the post mentioned in column (4) of Schedule IV from which promotion is to be made or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002:

Provided that any junior person shall not be considered for promotion in preference to the person senior to him on the basis of his completing the prescribed period of service.

- 15. Preparation of the list of the suitable candidates.- (1) The departmental promotion committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 14 and are held by the committee to be suitable for promotion to the service according to the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002. The list shall be sufficient to cover the vacancies anticipated on account of retirement/promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of two public servants or 25 percent number of persons, whichever is more, included in the said select list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.
- (2) The criteria of preparation for select list shall be as per the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.
- (3) The names of persons included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of each select list. Whenever promotion is to be made on the basis of merit cum seniority the select list shall be prepared as per the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.

16. Consultation with the Commission.-

Regarding the recommendations made by the departmental promotion committee, which has been presided over by the President or any other member of the Commission, it shall be construed that the requirements of sub Clause (B) of Clause (3) of Article 320 of the Constitution of India have been fulfilled and hence there is no need of making any separate consultation with the Commission.

17. Appointment to the service from the select list.-

- (1) Appointments of the persons included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order, in which the name of such persons appear in the select list.
- (2) It shall not ordinarily be necessary to consult Commission before the appointment of a person whose- name is included in the select list in the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.
- **18. Interpretation.-**If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

19. Probation.-

Initially, every direct appointment will be on two years probation. If the work is found unsatisfactory, the period of probation will be extended and the candidate will be treated as a temporary employee. He will be declared permanent only after the expiry of probationary period and then he will be entitled for regular pay scale.

20. Relaxation.-

Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

21. Repeal and savings.-

All rules corresponding to these rules or any in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made and action taken under these rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

22. Saving.-

Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation, and other Conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes in accordance with the rules made or orders issued by the State Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE –I
See rule 5

S.No.	Name of the posts included in the service	Number of posts	Classification	Pay Scale
1	2	3	4	5
1.	Transport Inspector	70	Class III executive	Rs.9300-34800+ G.P.3600
2.	Transport Sub-Inspector	102	11	Rs.5200-20200+ G.P.2800
3.	Motor Vehicle Transport Inspector	15	"	Rs.9300-34800+ G.P.3600
4.	Motor Vehicle Transport Sub- Inspector	35		Rs.5200-20200+ G.P.2800
5.	Assistant Transport Sub-Inspector	34	n	Rs.5200-20200+ G.P.2400
6.	Head Constable	120	11	Rs.5200-20200+ G.P.2100
7.	Transport Constable	342		Rs.5200-20200+ G.P.1900
8.	Driver	38	11	Rs.5200-20200+G.P.1900
9.	Assistant Internal Audit Officer		Directorate of Finance and Account Services	Rs.9300-34800+ G.P.3200
10.	Junior Accounts Officer	08	Directorate of Finance and Account Services	Rs.9300-34800+ G.P.3200
11.	Assistant Statistical Officer	05	Directorate of Economics and Statistics	Rs.9300-34800+ G.P.3600

SCHEDULE -II See rule 6

Name of the Department	Name of Post included in the	Number of Posts		of Number of be Filled	By Temporary
	service		By Direct Recruitment	By Promotion	Transfer of Persons from Other
					Services/ Or Deputation
1	2	3	4	5	6
Transport Department	Transport Inspector	70		85	15 percent on Deputation from Police Department
	Transport Sub Inspector	102	55 Percent	1. 10 percent of total posts (Non-Technical) 2. 20 percent from ministerial staff through limited competitive exam. (Non-Technical)	15 percent on Deputation from Police Department
	Motor Vehicle Transport Inspector	15	100 Percent	·	
	Motor Vehicle Transport Sub- Inspector	35	100 Percent		
	Assistant Transport Sub Inspector	35	<u>-</u> - '	100 Percent	
	Head Constable	120		100 Percent	
	Constable	342	100 Percent		
	Driver	38	100 Percent		
	Assistant Internal Audit Officer	08			By Deputation
	Junior Account Officer	08			By Deputation
	Assistant Statistical Officer	05			By Deputation

SCHEDULE III See Rule 8

Name of the Department	Name of Post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Educational Qualifications
11	2	3	4	5
Transport Department	Transport Sub- Inspector	21Years	35 Years	(i)Graduate from any recognized University or equivalent (ii)Driving license to drive motor cycle/ motor car/heavy goods vehicle/heavy passenger vehicle is essential (iii)One year Diploma in Computer from any recognized institute of Central or State Government is compulsory (iv) He must possess a good Physical
				and mental fitness he should possess 1.68 Meter height and 81.00 cm. chest (unexpanded) and 86.00 cm. (expanded) for SC/ST candidates 1.60 meter height and 76.00 cm. chest (unexpanded) and 81.00 cm. (expanded) chest. Candidate should possess normal vision 6/9 in both the
				eyes and 6/12 in one eye. He should be able to recognized different colours
	Motor Vehicle Transport Inspector	21 Years	35 Years	(i)Graduation in Automobile/Mechanical Engineering (ii)Driving license to drive motor cycle/
	Motor Vehicle	21 Years	35 Years	motor car/heavy goods vehicle/heavy passenger vehicle is essential (iii)One year Diploma in Computer from any recognized institute of Central or State Government is compulsory (iv) He must possess a good Physical and mental fitness he should possess 1.68 Meter height and 81.00 cm. chest (unexpanded) and 86.00 cm. (expanded) for SC/ST candidates 1.60 meter height and 76.00 cm. chest (unexpanded) and 81.00 cm. (expanded) chest. Candidate should possess normal vision 6/9 in both the eyes and 6/12 in one eye. He should be able to recognized different colours
	Transport Sub-Inspector			Automobile/Mechanical Engineering (ii)Driving license to drive motor cycle, motor car/heavy goods vehicle/heavy passenger vehicle is essential (iii)One year Diploma in Computer from any recognized institute of Central or State Government is compulsory (iv) He must possess a good Physical and mental fitness he should possess 1.68 Meter height and 81.00 cm. chest (unexpanded) and 86.00 cm. (expanded) for SC/ST candidates 1.60 meter height and 76.00 cm. chest (unexpanded) and 81.00 cm. (expanded) chest. Candidate should possess normal vision 6/9 in both the eyes and 6/12 in one eye. He should be

Transport Constable	21 Years	35 Years	(i)Higher Secondary School Certificate Examination or equivalent 10+2 Examination passed from a recognized Board (ii)Driving license to drive motor cycle/motor car/heavy goods vehicle/heavy passenger vehicle is essential (iii) He must possess a good Physical and mental fitness he should possess 1.68 Meter Height and 81.00 cm. chest (unexpanded) and 86.00 cm. (expanded) for SC/ST candidate 1.60Hight and 76.00 cm. (unexpanded) and 81.00 cm. (expanded) chest.
	·		Candidate should possess normal vision 6/9 in both the eyes and 6/12 in one eye. He should be able to recognized different colours
Driver	21 Years	35 Years	(i)Higher Secondary School Certificate Examination or equivalent 10+2 Examination passed from a recognized Board (ii)Driving license to drive (iii) He must possess a good Physical and mental fitness he should possess 1.68 Meter Height and 81.00 cm. chest (unexpanded) and 86.00 cm. (expanded) for SC/ST candidate 1.60Hight and 76.00 cm. (unexpanded) and 81.00 cm. (expanded) chest. Candidate should possess normal vision in both the eyes namely his vision should be 6/9 and 6/12 he should be able to recognized different colours motor cycle/motor car/heavy goods vehicle/heavy passenger vehicle is essential (iii) He must possess a good Physical and mental fitness he should possess 1.68 Meter Height and 81.00 cm. chest (unexpanded) and 86.00 cm. (expanded) for SC/ST candidate 1.60Hight and 76.00 cm. (unexpanded) and 81.00 cm. (expanded) chest. Candidate should possess normal vision 6/9 in both the eyes and 6/12 in one eye. He should be able to recognized different colours

SCHEDULE IV See Rule 14 and Rule 15

S.No.	Name of Post from which Promotion is to be Made	Name of post to which promotion is to be made	Minimum Experience/ qualification for promotion as shown in column 2	Name of members of the Departmental Promotion Committee
1	2	3	4	5
1.	Transport Inspector	Assistant Regional Transport Officer	5 Years	Chairman of Public Service Commission or member to be nominated by him
2.	Transport Sub Inspector	Transport Inspector	5 Years	Principal Secretary/ Secretary Transport Department Chairman Transport Commissioner/ Head of the Department
3.	Motor Vehicle Transport Inspector	Assistant Regional Transport Officer	5 Years	Chairman of Public Service Commission or member to be nominated by him
4.	Motor Vehicle Transport Sub- Inspector	Motor Vehicle Transport Inspector	5 Years	Principal Secretary/ Secretary Transport Department Chairman Transport Commissioner/ Head of the Department

5.	Assistant Transport Sub Inspector	Transport Sub Inspector	5 Years	Transport Commissioner/ Head of the Department
6	Transport Head Constable	Assistant Transport Sub Inspector	5 Years	Transport Commissioner/ Head of the Department
7	Transport Constable	Transport Head Constable	5 Years	1. Transport Commissioner/ Head of the Department - Chairman 2. Deputy Secretary Transport Department - Member 3. Additional Transport Commissioner(Enforcement.) - Member/Secretary 4. Joint Transport Commissioner (Administration.) - Member

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीप राज द्विवेदी, उपसचिव.